पत्र सं०–30 / SNA-SPARSH–19 / 2026...../

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
संयुक्त आयुक्त।

सेवा में,

सभी वरीय कोषागार पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–.....

विषयः– **भारतीय रिजर्व बैंक, पटना में कोषागारों हेतु संधारित खातों के KYC दस्तावेजों के अद्यतन करने के संबंध में।**

प्रसंगः– RBI, पटना के एकीकृत बैंकिंग विभाग का ई–मेल संवाद दिनांक–16.09.2026 एवं अनुवर्ती ई–मेल।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक ई–मेल संवाद एवं दिनांक–29.10.2026 को RBI द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से आहूत बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में सूचित करना है कि भारतीय रिजर्व बैंक, पटना में बिहार सरकार के सभी कोषागारों के संधारित खाते के KYC एवं संबंधित पदाधिकारियों के विवरण को अद्यतन करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में खाताधारकों के (i) स्थानांतरण अथवा पदभार परिवर्त्तन (ii) सेवानिवृत्ति (iii) त्यागपत्र / पदमुक्त (iv) हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की अनुपस्थिति अथवा प्रतिस्थापन (v) प्राधिकृत अधिकारी के प्राधिकार में परिवर्त्तन (vi) अन्य कोई परिवर्त्तन, जिससे खाते के संचालन अथवा प्राधिकृत्त हस्ताक्षरकर्ताओं पर प्रभावित होने की स्थित्ति में KYC एवं संबंधित पदाधिकारियों के विवरण को अद्यतन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

3. कोषागारों द्वारा लेटर हेड में वरीय कोषागार पदाधिकारी का KYC दस्तावेज (आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं Official ID की सत्यापित प्रति मुहर सहित) संलग्न करते हुए वित्त विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि वित्त विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु RBI, पटना को ससमय प्रेषित किया जा सके।

निदेशानुसार, कहना है कि RBI, पटना में संधारित खाता का KYC दिनांक–04.11.2026 के संध्या 5:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

अनु०:–यथोक्त।

ह०/–
(अजय कुमार ठाकुर),
संयुक्त आयुक्त।

ज्ञापांक– 30 / SNA-SPARSH–19 / 2026.....पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
संयुक्त आयुक्त।

ज्ञापांक– 30 / SNA-SPARSH–19 / 2026.....पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि– सुश्री प्रिया प्रकाश, सहायक महाप्रबंधक, बैंकिंग विभाग, RBI, पटना क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
संयुक्त आयुक्त।

ज्ञापांक– 30 / SNA-SPARSH–19 / 2026.....10119.....पटना, दिनांक–03-11-2026

प्रतिलिपि–श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

2/11/2026
संयुक्त आयुक्त।